415 scan

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

675449

ट्रस्ट डीड़

कोषाधिकारी
रुड़की कोड 5500
संख्या.........
10 JUL 2006
XXXXXXXXX
जिला हरिद्वार (उत्तरांचल)
2005 (U.A.)

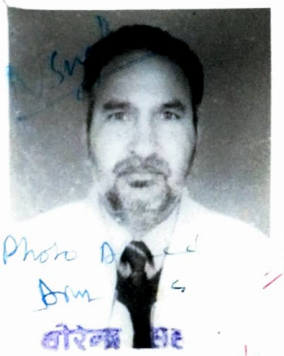

मैं कि डा0 नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम भलसवागाज, परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार का निवासी हूँ।

विदित हो कि मैं इस समय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की में यांत्रिक एवं औद्योगिक अभियांत्रिकी विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हूँ तथा मेरे पूज्य पिता स्व0 श्री हरिश्चन्द्र जी, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, की रूचि हमेशा समाज में शिक्षा के प्रचार व प्रसार की रही है। मेरा भी अपने गाँव भलसवागाज से अत्यधिक लगाव व प्रेम बना हुआ है। इस कारण मेरी इच्छा गाँव भलसवागाज में अपने पूज्य पिता स्व0 श्री हरिश्चन्द्र जी की भावनाओं के अनुरूप एक उच्च श्रेणी की शिक्षण संस्था स्थापित कर चलाने की है, जिसके लिए मैं निम्न प्रकार ट्रस्ट बनाना चाहता हूँ।

यह ट्रस्ट डीड़ आज दिनांक 22.09.2006 को डा0 नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम भलसवागाज, परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार ने प्रस्तुत किया। जिन्हें ट्रस्ट का संस्थापक ट्रस्टी कहा जायेगा। यह ट्रस्ट आज दिनांक 22.09.2006 को रूपये 1000/– से आरम्भ किया गया जो कि संस्थापक ट्रस्टी द्वारा अंशदानित किये गये। भविष्य में ट्रस्ट दान, चन्दा या कोई भी चल व अचल सम्पत्ति ग्रहण कर सकेगा जो ट्रस्ट को अर्जित होगी।

वीरेन्द्र सिंह
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, रुड़की

ट्रस्ट की नियमावली– ट्रस्ट की नियमावली व संविधान निम्न प्रकार होगा।

1. **ट्रस्ट का नाम**– ट्रस्ट का नाम **हरिश्चन्द्र सुशीला देवी ट्रस्ट भलसवागाज** होगा।
2. **कार्यालय**– ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय ग्राम भलसवागाज, परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार (उत्तरांचल) होगा।

NSL

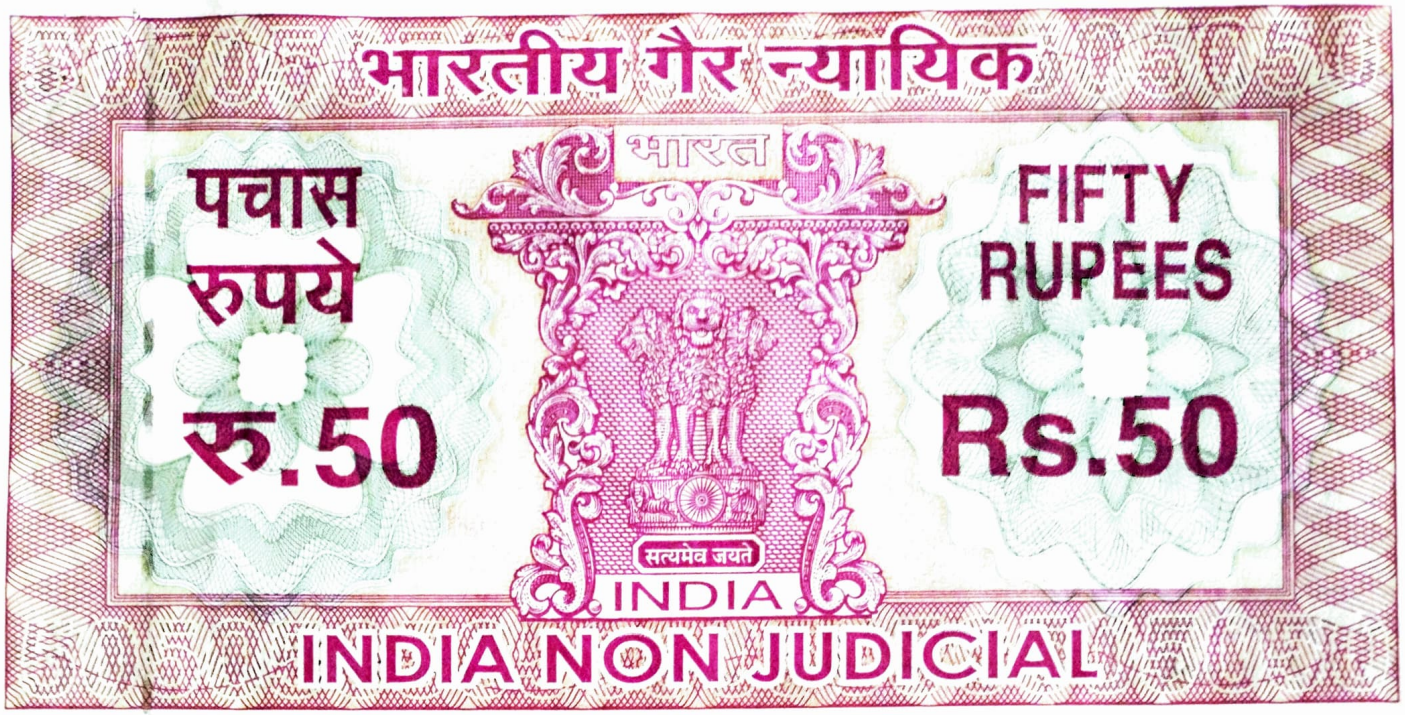

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

675450

कोषाधिकारी
रूड़की कोड 5500
संख्या
10 JUL 2006
XXXXXXXXXX
जिला हरिद्वार (उत्तरांचल)
2005 (U.A.) 2006

3. **ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र–** ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा ।

4. **ट्रस्ट के उद्देश्य–**

क) प्रत्येक स्तर पर समाज के हर वर्ग के लिए एक या अनेक शिक्षण संस्था चलाना।

ख) समाज के चारित्रिक उत्थान के लिए व्याख्यान व गोष्ठियों का आयोजन कराना।

ग) स्वास्थ्य के संबंध में घातक बीमारियों जैसे एड्स, कैंसर आदि के प्रति जाग्रति लाने के लिए प्रयास करना व कैम्प आयोजित करना।

घ) पेय जल एवं जल संरक्षण व अन्य जल समस्याओं के संबंधों में जाग्रति अभियान चलाना।

ङ) वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, व जल प्रदूषण के संबंध में जाग्रति अभियान चलाना।

च) वाचनालय, पुस्तकालय, औषधालय, आदि का निःशुल्क संचालन करना।

छ) उपर्युक्त लिखित सभी उद्देश्य किसी जाति, धर्म, पंथ या व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होगें।

5. **प्रबंधन–** ट्रस्ट का प्रबंध ट्रस्टीयों द्वारा किया जायेगा। जिसमें अलग–अलग ट्रस्टीयों को निम्न प्रकार कार्यभार सौंपा गया है।

क) डा0 नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम भलस्वागाज, परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार संस्थापक ट्रस्टी होंगे।

ख) डा0 सुरेन्द्र कौशिक पुत्र श्री आर.आर.पाल, निवासी कौशिक पैथोलोजी, रेलवे रोड़ रूड़की, परगना व तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार अध्यक्ष ट्रस्टी होंगे।

ग) श्री अंशुमन सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम भलसवागाज, परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार सचिव ट्रस्टी होंगे।

NS

प्रलेख नः 415

TRUST (MOVABLE)

TRUST(MOVABLE)

रजिस्ट्रेशन फीस	पेस्टिंग शुल्क	Electronic Processing Fee	कुल योग	शब्द लगभग
20.00	20.00	100.00	140.00	1200

श्री / श्रीमती / कुमारी डा0 नरेन्द्र सिंह

पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री स्व0 श्री हरिश्चन्द्र

निवासी भलस्वागाज पर0 भगवानपुर त0 रूडकी

ने आज दिनॉक 05-10-2006 समय 11:50:49

को कार्यालय उप निबन्धक SRO1 ROORKEE में प्रस्तुत की।

उपनिबंधक **SRO Roorkee 01**

इस लेखपत्र का निष्पादन सुनकर व समझकर व विकय धन / अग्रिम धन / नगद रू0 0.00

लेखानुसार प्राप्त करके श्री / श्रीमती / कुमारी डा0 नरेन्द्र सिंहs/o स्व0 श्री हरिश्चन्द्र , भलस्वागाज पर0 भगवानपुर त0 रूडकी

ने स्वीकार किया।

जिसकी पहचान

श्री विनोद मलिक पुत्र श्री ब्रहम सिंह

निवासी 255चाव मंडी रूडकी

श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री टिकम सिंह

निवासी 179/12 शील कुंज रूडकी

ने की।

Indian Registration Act XVI 1908
Act 16 of 1908

उपनिबंधक **SRO Roorkee 01**

उपनिबंधक **SRO Roorkee 01**

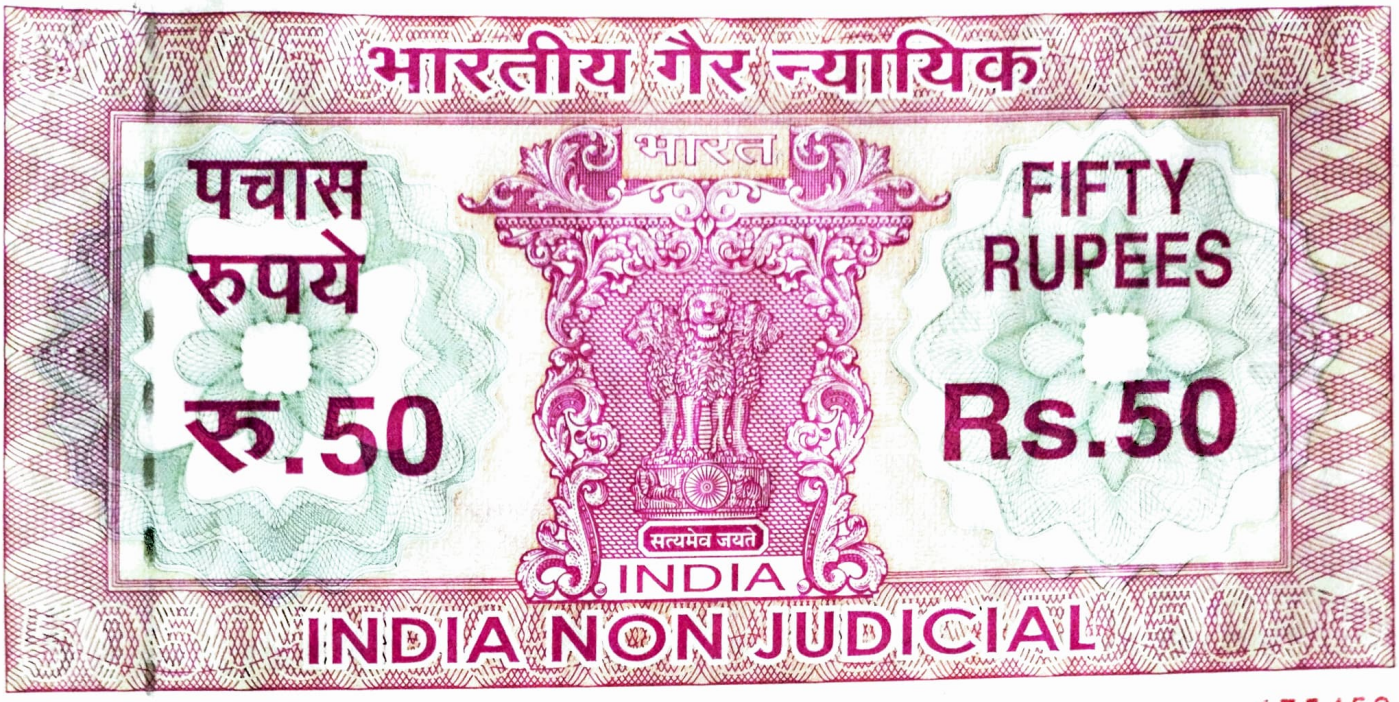

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

675450

उत्तरांचल UTTARANCHAL

कोषाधिकारी
रुड़की कोड 5500
संख्या
10 JUL 2006
XXXXXXXXXX
जिला हरिद्वार (उत्तरांचल)
2005 (U.A.) 2006

3. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र– ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा ।

4. ट्रस्ट के उद्देश्य–

क) प्रत्येक स्तर पर समाज के हर वर्ग के लिए एक या अनेक शिक्षण संस्था चलाना।

ख) समाज के चारित्रिक उत्थान के लिए व्याख्यान व गोष्ठियों का आयोजन कराना।

ग) स्वास्थ्य के संबंध में घातक बीमारियों जैसे एड्स, कैंसर आदि के प्रति जाग्रति लाने के लिए प्रयास करना व कैम्प आयोजित करना।

घ) पेय जल एवं जल संरक्षण व अन्य जल समस्याओं के संबंधों में जाग्रति अभियान चलाना।

ङ) वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, व जल प्रदूषण के संबंध में जाग्रति अभियान चलाना।

च) वाचनालय, पुस्तकालय, औषधालय, आदि का निःशुल्क संचालन करना।

छ) उपर्युक्त लिखित सभी उद्देश्य किसी जाति, धर्म, पंथ या व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होगें।

5. प्रबंधन– ट्रस्ट का प्रबंध ट्रस्टीयों द्वारा किया जायेगा। जिसमें अलग–अलग ट्रस्टीयों को निम्न प्रकार कार्यभार सौंपा गया है।

क) डा0 नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम भलस्वागाज, परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार संस्थापक ट्रस्टी होंगे।

ख) डा0 सुरेन्द्र कौशिक पुत्र श्री आर.आर.पाल, निवासी कौशिक पैथोलोजी, रेलवे रोड़ रूड़की, परगना व तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार अध्यक्ष ट्रस्टी होंगे।

ग) श्री अंशुमन सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम भलसवागाज, परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार सचिव ट्रस्टी होंगे।

NS7L

घ) श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री मलखान सिंह, निवासी ग्राम भलसवागाज, परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार कोषाध्यक्ष ट्रस्टी होंगे।

ङ) श्री प्रेम पाल सिंह पुत्र श्री समय सिंह, निवासी 93, आवास विकास कालोनी, सहारनपुर, सदस्य ट्रस्टी होंगे।

च) श्री अजित कुमार चौधरी पुत्र स्व0 श्री श्याम सिंह, निवासी, बी–203, रोज वुड अपार्टमैन्ट निकट समाचार अपार्टमैन्ट, मयूर विहार, फेज–I, नई दिल्ली, सदस्य ट्रस्टी होंगे।

छ) श्री अखिलेश सिंह पुत्र स्व0 श्री शेर सिंह निवासी 93, आवास विकास कालोनी, सहारनपुर, सदस्य ट्रस्टी होंगे।

उपर्युक्त लिखित इन सभी ने ट्रस्ट का ट्रस्टी बनना स्वीकार किया है वह सभी ट्रस्टी समय–समय पर ट्रस्ट को यथा सम्भव सहयोग देंगे जो दान स्वरूप होगा।

6. **सदस्यता एंव रिक्त स्थानों की पूर्ति**–

क) संस्थापक ट्रस्टी जो कि ट्रस्ट का आजीवन सदस्य होगा। संस्थापक ट्रस्टी की मृत्यु या अन्य किसी भी कारण से पद रिक्त होने की स्थिति में उसकी पत्नी, पत्नी न होने की स्थिति में उसका बडा पुत्र, पुत्र न होने की स्थिति में बड़ी पुत्री अथवा तीनों के न होने पर शेष ट्रस्टीयों द्वारा उसके परिवार से नामित व्यक्ति संस्थापक ट्रस्टी होगा।

ख) उक्त अन्य ट्रस्टी भी ट्रस्ट के आजीवन सदस्य होगें एवं उक्त ट्रस्टीयों में से किसी भी ट्रस्टी की मृत्यु के पश्चात उसके पद की पूर्ति अन्य ट्रस्टीयों की सर्व सम्मति से की जायेगी। जिसका अन्तिम निर्णय संस्थापक ट्रस्टी का होगा।

7. **ट्रस्ट का कोष**– ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ट्रस्ट दान, भेंट, ग्रान्ट आदि प्राप्त कर सकता है। सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। अचल सम्पत्ति ट्रस्ट के नाम पर ग्रहण की जा सकती है। आवश्यकता से अधिक होने पर कोई सम्पत्ति किराये आदि पर दी जा सकती है जिसकी आय ट्रस्ट के उद्देश्यों हेतु व्यय की जायेगी।

8. **वित्तीय वर्ष**– ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

9. **बैंक में खाते का संचालन**– ट्रस्ट का खाता डाकघर अथवा राष्ट्रीय बैंक में ट्रस्ट के नाम खोला जायेगा जिसका संयुक्त रूप से संचालन संस्थापक ट्रस्टी व कोषाध्यक्ष ट्रस्टी अथवा कोषाध्यक्ष के स्थान पर सर्व सम्पत्ति से पारित नाम वाला ट्रस्टी करेगा।

10. **खातों का आड़िट**– ट्रस्ट के खाते का आड़िट सचिव ट्रस्टी प्रत्येक वर्ष किसी चार्टड एकाउन्टैन्ट से करायेगा।

11. **मीटिंग का कोरम**– ट्रस्ट की मीटिंग का कोरम 5/7 होगा। तथा मीटिंग की सूचना सामान्य मीटिंग के लिए 7 दिन पूर्व व विशेष मीटिंग के लिए 1 दिन पूर्व दी जानी आवश्यक होगी।

12. **कार्यवाही बुक–** सचिव ट्रस्टी ट्रस्ट की सभी मीटिंग का कार्यवाही रजिस्टर, एजेन्डा रजिस्टर आदि का रिकार्ड अपने पास सुरक्षित रखेगा व उन्हें नियमानुसार तैयार करेगा।

13. **सदस्यता की समाप्ति–**

क) ट्रस्टी की मृत्यु होने पर।

ख) त्याग पत्र देने पर।

ग) दिवालिया अथवा पागल होने पर।

घ) ट्रस्ट विरोधी कार्य करने पर शेष ट्रस्टीयों के बहुमत से।

ड.) ट्रस्ट के प्रति गबन आदि का आरोप सिद्ध होने पर।

च) अपराधी घोषित होने पर।

छ) सदस्यता शुल्क की अदायगी न होने पर।

ज) लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

14. **ट्रस्टीयों के पद**– ट्रस्ट में निम्नलिखित स्थाई पदाधिकारी होंगे।

क) संस्थापक ट्रस्टी। ख) अध्यक्ष ट्रस्टी।

ग) सचिव ट्रस्टी। घ) कोषाध्यक्ष ट्रस्टी।

ड.) सदस्य ट्रस्टी।

15. **ट्रस्टीयों के अधिकार एवं कर्त्तव्य–**

क) **संस्थापक ट्रस्टी:–** ट्रस्ट के हितों की रक्षा करना व ट्रस्ट के हित में दिशा निर्देश देना, व अन्य ट्रस्टीयों के सहयोग व सहमति से उद्देश्यों की पूर्ति करना, अन्य ट्रस्टीयों के साथ ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यकर्त्ताओं को नियुक्त करना, हटाना, ट्रस्टीयों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में संस्थापक ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम होगा।

ख) **अध्यक्ष ट्रस्टी:–** ट्रस्ट की होने वाली मीटिंग्स की अध्यक्षता करेगा, तथा ट्रस्ट के हितों की रक्षा के लिये आवश्यक सुझाव देगा।

ग) **सचिव ट्रस्टी:–** ट्रस्ट का समस्त रिकार्ड सुरक्षित रखना, मीटिंग की सूचना नियमानुसार देना व मीटिंग की कार्यवाही लिखना, ट्रस्ट के लिए समस्त पत्र–व्यवहार करना, तथा समस्त रिकार्ड नियमानुसार पूरा करना तथा ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की देखभाल करना।

घ) **कोषाध्यक्ष ट्रस्टी** :– कोषाध्यक्ष ट्रस्टी समस्त प्रकार के धन प्राप्ति की रसीद काटेगा। सभी बिलों का भुगतान संस्थापक ट्रस्टी के हस्ताक्षरों के उपरान्त करेगा तथा आय–व्यय का हिसाब रखेगा।

ड.) **सदस्य ट्रस्टी** :– ट्रस्ट के हित को ध्यान में रखकर ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना।

NSL

16. **ट्रस्ट द्वारा अथवा ट्रस्ट के विरूद्ध कार्यवाही का दायित्व** :– किसी भी प्रकार के न्यायालय संबन्धी अथवा अन्य वाद, प्रतिवाद की स्थिति में ट्रस्ट की ओर से संस्थापक ट्रस्टी अपने हस्ताक्षरों से पक्ष प्रस्तुत करेगा अथवा सर्व सम्मति से नामित ट्रस्टी पैरवी करेगा। तथा ट्रस्ट के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार रूड़की न्यायालय को होगा।

17. **संविधान व नियमों में परिवर्तन** :– कुल ट्रस्टीयों के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से नियमों में समायोजन किया जा सकता है। समायोजन की पुष्टि होने पर समायोजन लागू माना जायेगा।

18. **ट्रस्ट के अभिलेख** :– सदस्यता रजिस्टर, कार्यवृत्त रजिस्टर, कार्यवाही सूची रजिस्टर, कैश बुक, लेजर व अन्य ट्रस्ट से संबंधित दस्तावेज।

19. **ट्रस्ट का समापन** :– यदि किसी कारणवश ट्रस्ट का समापन होता है तो ट्रस्ट की कुल सम्पत्ति संस्थापक ट्रस्टी के अन्य समान उद्देश्य वाली अन्य ट्रस्ट में स्थानान्तरित हो जायेगी। लेकिन यदि ट्रस्ट पर कोई देनदारी होगी तो पहले ट्रस्ट सम्पत्ति से देनदारी चुकता की जायेगी।

आज दिनांक 22. 09 .2006 को यह ट्रस्टनामा संस्थापक ट्रस्ट के द्वारा एवं सहमति से लिखा गया है।

साक्षी

विनोद मलिक
S/o श्री [illegible]
255 [illegible]
रुड़की

साक्षी

Dinesh Kumar s/o Sh.
Tikkam Singh
179/12 Sheel Kunj
IIT Roorkee.

तहरीर तारीख – 5.10.2006.

ड्राफ्टिड एवं फोटो प्रमाणित – 5.10.2006.

वीरेन्द्र सिंह
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, रुड़की
रजि. न. 2880/[illegible]

वीरेन्द्र सिंह, एडवोकेट
रूड़की

Photo & Certificate

05-10-2006

AUTHOR

TRUSTEES

Witness

Witness 1

Witness 2

बही नम्बर 4 जिल्द 285 पृष्ठ 9

ए. डी. फा. बुक 4 जिल्द 287 पृष्ठ 119 से 128

में नम्बर 415 पर आज दिनांक 05-10-2006 में रजिस्ट्री की गयी।

उप निबन्धक SRO1 Roorkee

The Indian Registration Act NO XVI of 1908